कार्यालय, अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, भागलपुर।

पत्रांक–170 / ल0सिं0अंचल,भागलपुर, दिनांक 05/02/2026

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
लघु सिंचाई अंचल, भागलपुर।
ई0मेल–sebhag-mi-bih@nic.in

सेवा में,

Shivachi Infra Pvt Ltd,
Prop-Chitralekha Devi
C/O-Sumeshwar Singh, At+PO-Siyaruwa,Ps-Jagdishpur, Dist-bhojpur,bihar,pin-802158
E-mail ID-shivachiinfra@gmail.com
Mob-9234315551

विषय :– निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–09/2025–26 के ग्रुप संख्या–01 अन्तर्गत करहरिया (हाहा बांध) गाइड वॉल का निर्माण कार्य का कार्यावंटन निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग :– कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर का पत्रांक–105 दिनांक–05.02.2026 एवं इस कार्यालय का पत्रांक–142 दिनांक–31.01.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र में अंकित निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–09/2025–26 के ग्रुप संख्या–01 अन्तर्गत करहरिया (हाहा बांध) गाइड वॉल का निर्माण कार्य, 44,21,210 (चौवालिस लाख इकीस हजार दो सौ दस) रूपय मात्र का वित्तीय तुलनात्मक विवरणी में 13 (तेरह) निविदादताओं में से आपका दर अनुसूचित दर से 45.60 प्रतिशत कम रहने के कारण आपको कार्य आवंटित किया जाता है।

अतः शिवाची इन्फा प्रा0 लि0, प्रो0– चितरालेखा देवी को निर्देशित किया जाता है कि कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर से सम्पर्क स्थापित कर एक सप्ताह के अन्दर एकरारनामा कर स–समय कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे, इसमें किसी भी तरह की विलम्ब अवांछनीय होगी।

विश्वासभाजन

05/2/26

अधीक्षण अभियंता,
लघु सिंचाई अंचल, भागलपुर।

पत्रांक–170 / ल0सिं0अंचल,भागलपुर, दिनांक 05/02/2026

प्रतिलिपि–कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि आवंटित कार्य हेतु निम्नवत् शर्तो के आधार पर संवेदक से एकरारनामा कर नियमानुसार अग्रेतर कारवाई करना सुनिश्चित करेगें।

1. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य में पूर्वोदाहरण नहीं होगा।
2. संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिए जमा की गई राशि एवं निविदा के साथ जमा की गई अग्रधन की राशि से संबंधित बैक गारंटी/इत्यादि का सत्यापन संबंधित बैंक से कराकर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेख के रूप में एकरारनामा के साथ रखा जाय।
3. एकरारनामा के पूर्व निविदा सूचना मानक निविदा अभिलेख के अनुसार सभी वांछित कागजातों की जाँचोपरान्त अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रतिनिश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा।
4. एकरारनामा के समय निविदादाता से कार्य के समाप्ति का लिखित प्रोग्राम ऑफ वर्क प्राप्त करेंगे। जो एकरारनामा का भाग होगा।
5. इस कार्य के संबंध में निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति एवं निविदा सूचना में उल्लेखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, इस शर्त में जोड़ा जायेगा।
6. एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के मात्रा के शुद्धता की जाँच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेगे तथा सभी तरह से संतुष्ट हो कर ही एकरारनामा करगें।
7. कार्य प्रारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति एवं प्राक्कलन में उपबंध किये गये मात्रा एवं दर से पुरी तरह आश्वस्त हो लेंगे एवं प्रावैधिक स्वीकृति के अनुसार प्रारूप में दिये गये निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

8. कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे की कार्य विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित शर्त/समय सीमा के अन्दर पूर्ण हो जाय। हर हाल में कार्य की विशिष्टिता एवं गुणवत्ता बरकरार रखी जायेगी।
9. विभागीय पत्रांक–1048 (मो0) दिनांक–25.10.2021 एवं विभागीय पत्रांक–250(मो0) दिनांक–09. 03.2021 के आलोक में कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्री–लेवल की जाँच अंतर प्रमंडलीय अभियंताओं से कराना सुनिश्चित करें। साथ ही Pre-Level विभागीय पोर्टल पर Upload करेंगे उसके पश्चात् एक सप्ताह के उपरान्त कार्य प्रारंभ करेंगे। Pre-level का TBM विभागीय पत्रांक–922 (मो0) दिनांक–30.08.2022 के अनुसार निर्धारित करना सुनिश्चित करेगें।
10. सफल संवेदक के द्वारा शीघ्रता–शीघ्र एकरारनामा वित्त अधिनियम के तहत कर कार्य प्रारंभ कराया जाय। एकरारनामा करने के लिए संवेदक को एक सुनिश्चित समय–सीमा दिया जाय और उक्त समय के अन्दर सभी संबंधित कागजातों के साथ उपस्थिति नहीं होने पर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाय ताकि उचित कारवाई की जा सकें।
11. एकरारनामा करते समय यह विशेष प्रावधान किया जाय कि त्रुटि पूर्ण सामग्रियों की आपूर्ति एवं कार्य के लिए संवेदक पूर्ण दोषी होगें।
12. कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व एकरारनामा की प्रति एवं कार्य स्थल का विडियोग्रॉफी लेकर सी0डी0 तैयार कर अपने पास रखेगें एवं उच्चाधिकारियों को भी उपलब्ध करायेगें।
13. कार्य पर होने वाले वित्तीय व्यय/तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत रखा जाय।
14. निविदा दस्तावेज में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इस की सूचना अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय एवं निर्देश प्राप्त होने तक एकरारनामा की कारवाई स्थगित रखी जाय।
15. कार्यपालक अभियंता, अग्रेतर कारवाई के पूर्व यह सुनिश्चित हो ले कि परिमाण–विपत्र की सूची मद में मात्रा एवं दर तकनीकी स्वीकृति के मात्रा एवं दर के अनुरूप ही हो।
16. कार्यपालक अभियंता एकरारनामा करने के पश्चात् एकरारनामा की एक स्पष्ट सत्यापित प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को उपलब्ध करायेगें।
17. विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेश एवं आदेश पूर्णतः लागू होगा।
18. कार्य की गुणवता की जॉच संवेदक को स्वंय के खर्च से कराना अनिवार्य होगा। कार्य की गुणवता से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगे। इसके लिए सीधे पूर्ण रूपेण आप जिम्मेवार होंगे। संरचना कार्यो का भुगतान अचुक रूप से किसी सरकारी संस्थान से गुणवता प्रतिवेदन प्राप्त के पश्चात ही किया जायेगा।
19. योजना स्थल पर योजना की विवरणी अंकित सूचना पट्ट लगवाया जाना आवश्यक होगा।
20. योजना स्थल पर स्थल आदेश पंजी का संधारण आवश्यक है।
21. सम्पादित कार्यो का मापी कर उसे माप पुस्त में दर्ज कर अद्यतन स्थिति में रखा जायेगा।
22. किसी भी तरह के देयता का सृजन नहीं किया जायेगा। यह हर हाल में अमान्य होगा। कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व आप यह सुनिश्चित हो लेंगे कि यह कार्य अन्य किसी विभाग/मद से कार्यान्वित या कार्यान्वयन के लिए चयनित नहीं है।

अनु0ः–निविदा से संबंधित सभी कागजात।

05/2/26

अधीक्षण अभियंता,
लघु सिंचाई अंचल, भागलपुर।

पत्रांक–170 / ल0सिं0अंचल,भागलपुर, दिनांक 05/02/2026

प्रतिलिपिः–अधीक्षण अभियंता,(मु0), अनुश्रवण लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

05/2/26

अधीक्षण अभियंता,
लघु सिंचाई अंचल, भागलपुर।

पत्रांक–170 / ल0सिं0अंचल,भागलपुर, दिनांक 05/02/2026

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ समर्पित। अनुरोध हैं कि विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

05/2/26

अधीक्षण अभियंता,
लघु सिंचाई अंचल, भागलपुर।